पत्र सख्या–6 / खा.म.नीति–07 / 2007..... ..... / रा.

# बिहार सरकार
## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री बी.बी. श्रीवास्तव
भूमि सुधार आयुक्त–सह–प्रधान सचिव,

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी समाहर्त्ता,

पटना, दिनांक.....

विषय :– निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 43 के प्रावधानों के तहत निःशक्त व्यक्तियों को आवास निर्माण हेतु सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महाशय,

भारत सरकार के राजपत्र असाधारण अंक भाग–II खण्ड– I में दिनांक–01 जनवरी 1996 को विधि, न्याय एवं कम्पनी मामले मंत्रालय द्वारा निःशक्त व्यक्तियों (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 का प्रकाशन किया गया। अधिनियम की धारा–43 में यह प्रावधान किया गया है कि "संबंधित राज्य सरकारे निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए निःशक्त व्यक्तियों को रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु अधिसूचना के द्वारा नीति निर्धारित करेंगी" :–

(क) मकान बनाने हेतु,
(ख) व्यवसाय आरंभ करने हेतु,
(ग) विशेष मनोरंजन केन्द्र की स्थापना हेतु,
(घ) विशेष प्रकार के विद्यालयों की स्थापना हेतु,
(ड़) शोध संस्थानों की स्थापना हेतु
(च) निःशक्त उद्यमियों द्वारा कारखाना की स्थापना हेतु,

2. सम्यक विचारोपरांत मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–14.06.07 के मद संख्या 9 में स्वीकृति प्राप्त करते हुए सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्तियों को निम्न शर्तो के साथ भूमि बन्दोबस्त करने का निर्णय लिया गया है :–

(i) सभी प्रकार की सरकारी भूमि की बन्दोबस्ती निःशक्त व्यक्तियों के साथ मात्र आवासीय प्रयोजन हेतु प्रति परिवार 04 (चार) डिसमिल के दर से की जाएगी।
(ii) गृह विहीनों को गृह स्थल हेतु भूमि बन्दोबस्ती में निःशक्त व्यक्तियों को 03 (तीन) प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
(iii) भूमि की बन्दोबस्ती में निःशक्त व्यक्तियों से किसी प्रकार की राशि सलामी के रूप में नहीं ली जाएगी । केवल वार्षिक लगान एवं लागू सेस देय होगा।

अतः अनुरोध है कि राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में निःशक्त व्यक्तियों के साथ भूमि बन्दोबस्ती की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाय।

विश्वासभाजन

ह0 /
(बी.बी. श्रीवास्तव)
भूमिसुधार आयुक्त–सह– प्रधान सचिव

ज्ञापांक 6/खा.म.नीति 03/2007........................../रा. दिनांक..............................

प्रतिलिपि :– सचिव समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना को उनके अर्द्ध सरकारी पत्रांक 1895 दिनांक–09.11.06 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/
(बी.बी. श्रीवास्तव)
भूमिसुधार आयुक्त–सह– प्रधान सचिव

ज्ञापांक 6/खा.म.नीति 03/2007– 905 (6) /रा. दिनांक 28-6-07

प्रतिलिपि :– सचिव/प्रधान सचिव सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कंडिका (i) की उप कंडिका (क) को छोड़कर शेष उप कंडिकाओं में इंगित प्रयोजनों हेतु निःशक्त व्यक्तियों को भूमि आबंटन हेतु संबंधित विभाग निर्णय लेने हेतु सक्षम है। इन प्रयोजनों हेतु भूमि की आवश्यकता होने पर संबंधित विभाग राजस्व विभाग से अथवा राजस्व विभाग के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराने हेतु नीति निर्धारण के निमित्त परामर्श ले सकते हैं। राजस्व विभाग प्रत्येक मामले के गुण दोष के आधार पर समीक्षोपरांत अपना परामर्श दे सकता है।

(बी.बी. श्रीवास्तव)
भूमिसुधार आयुक्त–सह– प्रधान सचिव